इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2013—चैत्र 16, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. एफ.ए. 3-95-2005-1-पांच (27).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-1995-2005-1-पांच (20), दिनांक 31 मार्च, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"1.	ग्राम भीमफलिया (पिटोल), जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश).	जिला झाबुआ में, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 59, इन्दौर-अहमदाबाद मार्ग पर, इन्दौर से 169-170 किलोमीटर (अहमदाबाद की ओर) के बीच एकीकृत जांच चौकी पर.".

यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. एफ.ए. 3-95-2005-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.ए. 3-95-2005-1-पांच (27), दिनांक 6 अप्रैल, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

Bhopal, the 6th April 2013

No. F-A-3-95-2005-1-(27).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-A-3-1995-2005-1-V(20), dated 31st March, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"1.	Village Bhimfaliya (Pitol) District Jhabua (M.P.)	At Integrated Check Post District Jhabua between 169-170 K.M. from Indore (towards Ahmedabad) on National Highway No.-59, Indore-Ahmedabad Road.".

This notification shall come into force from the date of publication.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. R. QURESHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. एफ.ए. 3-14-2013-1-पांच (28).—यत:, राज्य सरकार का यह विचार है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में, निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 45-ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''45-ग विदेशी मदिरा पर कर का भुगतान और प्रमाण-पत्र जारी किया जाना.

(1) नियम 36 और 37 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश या इस निमित्त आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वेयरहाऊस से प्रदाय की गई विदेशी मदिरा पर कर का भुगतान नियम 37 के उपबंधों के अनुसार करेगा और इस प्रकार किया गया भुगतान, उस व्यापारी जिसकी विदेशी मदिरा वेयरहाऊस से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन एफ. एल.-1/एफ.एल.-1 ककककक अनुज्ञप्ति के धारक व्यापारी को प्रदाय की गई हो, के लिए और उसकी ओर से किया गया समझा जाएगा.

(2) जहां भुगतान, पुस्तक समायोजन द्वारा किया गया हो, उसकी सूचना, ऐसे भुगतान के किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भेजी जाएगी.

(3) उप नियम (1) के अधीन भुगतान की गई रकम के लिये, आबकारी आयुक्त या इस निमित्त आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, व्यापारी को, जिसकी विदेशी मदिरा प्रदाय की गई हो, ऐसी रकम भुगतान किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप 31-क ख में समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से प्राप्त किया गया प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में जारी करेगा.

(4) नियम 21 के उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विदेशी मदिरा बेचने वाले व्यापारी ने, जब तक अन्यथा प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, वेयरहाऊस से प्रदाय की गई विदेशी मदिरा की कुल राशि पर कर का संदाय कर दिया समझा जाएगा, यदि वह प्ररुप 31-क ख में प्रमाण-पत्र की एक प्रति इस प्रकार प्रस्तुत कर देता है कि मानो उसने चालान द्वारा कोषालय में कर की रकम जमा कर दी है. यह प्रमाण-पत्र प्ररुप 10 में विवरणी के साथ फाईल किया जाएगा.''.

2. प्ररूप 31-कक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''प्ररूप 31—क ख

[नियम 45-ग (3) देखिए]

मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 45-ग के उपनियम (1) के अधीन संदत्त की गई राशि के संबंध में प्रमाण-पत्र

बुक क्रमांक . . . . अनुक्रमांक . . . . जारी करने का दिनांक . . . .

नाम और पता . . . .

जारीकर्ता प्राधिकारी
की मुद्रा.

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स . . . . मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन टिन (यदि कोई हो) . . . . धारक व्यापारी के लिये और उसकी ओर से कालावधि . . . . से . . . . . तक विदेशी मदिरा जिसकी न्यूनतम विक्रय मूल्य रुपए . . . . (अंकों में) . . . . (शब्दों में) वेयरहाऊस से प्रदाय की गई है और वेट के रूप में उक्त व्यापारी द्वारा भुगतान की जाने वाली रकम के बराबर रुपए . . . . (अंकों में) . . . . (शब्दों में) की रकम शासकीय कोषालय में चालान (प्ररूप 27 या *प्ररूप 27 क) क्रमांक . . . . तारीख . . . . से जमा कर दी गई है.

मुद्रा . . . . हस्ताक्षर
स्थान . . . . पदनाम
दिनांक . . . .

*जो लागू न हो, उसे काट दें.''

3. ये संशोधन एक अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. एफ.ए. 3-14-2013-1-पांच..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.ए. 3-14-2013-1-पांच (28), दिनांक 6 अप्रैल, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

Bhopal, the 6th April 2013

No. F-A-3-14-2013-1-(28).—Whereas, the State Government considers that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Gazette;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat, Act. 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, nemely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. after rule 45-B, the following rule shall be inserted, namely:—

"45-C. Payment of tax on foreign liquor and issue of certificate.

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in rules 36 and 37, the Excise Commissioner, Madhya Pradesh or the officer authorised by the Excise Commissioner in this behalf, shall make payment of tax on foreign liquor, supplied form the warehouses, in accordance with the provisions of the rule 37 and the payment so make shall be deemed to have been made for and on behalf of the dealer whose foreign liquor has been supplied from the warehouses to the dealers holding F.L.-1/F.L.-1AAAA license under the madhya Pradesh Excise Act, 1915.

(2) Where the payment is made by book adjustment, intimation thereof shall be sent to the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf within fifteen days of such payment.

(3) for the amount paid under sub-rule (1), the Excise Commissioner or the officer authorised by the Excise commissioner in this behalf, shall issue a certificate in form 31-AB, obtained from the appropriate Commiercial Tax Officer or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf, in duplicate to the dealer whose foreign liquor has been supplied, within fifteen days of the payment of such amount.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-rule (2) of rule 21, the dealer selling foreign liquor shall, unless the contrary is proved, be deemed to have paid tax on the turnover of foreign liquor supplied from the warehouses, if he furnished one copy of the certificate in form 31-AB as if he had credited the amount of tax in the treasury by challan. The certificate shall be filed along with the return in form 10.".

2. after Form 31-AA, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM 31-AB

[See rule 45-C(3)]

Certificate in respect of amount paid under sub-rule (1) of rule 45-C of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006

Book No. . . . . S. No. . . . . date of issue . . . .
Name and address . . . .

Seal of issuing Authority

Certified that the foreign liquor minimum sale price of which is rupees (in figures) . . . .(in words) has been supplied from warehouse during the period from . . . . to . . . . for and on behalf of M/S . . . . a dealer holding TIN (if any) . . . . under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 and an amount of rupees . . . .(in figures) . . . . (in words) equal to the amount payable by the said dealer by way of Vat has been paid in to the Government treasury vide challan (Form 27 or *from 27 A) number . . . . dated . . . .

Seal . . . .

Place . . . . Signature

Date . . . . Designation

* strike out whichever is not applicable.".

3. These amendments shall be deemed to have come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. R. QURESHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.